मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग / कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उमवान

राकेश कुमार बनाम कालूराम आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 123/2020

निर्णय दिनांक :– 02.12.2021

वादी की ओर से वकील संदीप गोदारा की व प्रतिवादी सं0 1 व 4 की ओर से वकील दीवान सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता सं० 14/11 के खसरा सं० 9 की 0.202 है०, खसरा सं० 19 की 10.332 है०, खसरा सं० 25 की 8.840 है०, खसरा सं० 131 की 0.683 है० कुल 20.057 है० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के नाम 3/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के बजाए वादी सं० 1 राकेश कुमार वादी सं० 2 कृष्ण, वादी सं० 3 गणेश, प्रतिवादी सं० 1 कालूराम, प्रतिवादी सं० 2 पेतराम, प्रतिवादी सं० 3 विनोद कुमार व प्रतिवादी सं० 4 सुमन को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है भूमि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

कैम्प

Scanned with CamScanner